

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक:एफ 2 (5) 2020 /विधि/प्रमुखस/
निमित्त,

दिनांक:

समस्त मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान।
समस्त उप वन संरक्षक/भू-संरक्षण अधिकारी
राजस्थान।

विषय:-लम्बित एवं निर्णित न्यायिक प्रकरणों के संबंध में मण्डलवार सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:-संयुक्त शासन सचिव(वन) का पत्रांक 16(2)वन22020 दिनांक 25.9.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा प्रशासनिक विभाग ने विभिन्न न्यायालयों में लम्बित एवं निर्णित प्रकरणों की सूचना एवं लम्बित अवमानना प्रकरणों की वनमण्डलवार सूचना निर्धारित प्रपत्र में 7 दिवस में चाही है।

अतः प्रशासनिक विभाग के पत्र दिनांक 25.9.2020 एवं उसके साथ प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि चाही गई सूचना आवश्यक रूप से 2 दिवस में एम.एस. बल्ड साफ्टकॉपी में तैयार कर इस कार्यालय को जरिये ईमेल jlfforest@gmail.com पर उपलब्ध करावें।

नोट: मुख्य वन संरक्षक अपने आधीन उप वन संरक्षकगण को वांछित सूचना उपलब्ध करवाए जल्दी बाबत अपने स्तर से भी निर्देशित करें।
संलग्न:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस.के.दुबे)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

श्रम एवं विधि,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ 2 (5) 2020 /विधि/प्रमुखस/ 5233-34

दिनांक: 25.9.2020

✓प्रतिलिपि संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को सन्दर्भित घत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रतिलिपि प्रभारी सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि घत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें व समस्त मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक/भू-संरक्षण अधिकारी को ईमेल पर भिजवावें।

(एस.के.दुबे)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

श्रम एवं विधि,

राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- पा० 16(2)वन/2020

जयपुर, दिनांक 26 SEP 2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हौफ),
राजस्थान जयपुर।

विषय:- लम्बित एवं निर्णित न्यायिक प्रकरणों के संबंध में अष्टलवार सूचना उपलब्ध कराने वाले।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशबुसार विभागीय वादकरण में विभिन्न न्यायालयों द्वारा माननीय न्यायालयों में पारित निर्णयों की पालना से शेष लंबित प्रकरणों की सूचना एवं माननीय न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सूचना वनमण्डल वार संलग्न निर्धारित प्रारूप में सात दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करावें। साथ ही जिला, संभाग एवं मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से अधिकारी करावें।

संलग्न:-उपरोक्ताब्सार।

भवदीप,

(पी.एस. दिल्लोही)
संयुक्त शासन अधिक

25/9

SSR

Office of the Forest Department

दनोनपड़ल वार विभेन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सूचना (As on 15.09.2020)

संवाधित न्यायालय	प्रकरण सं.	उनवान प्रभारी अधिकारी का बान मो.न.	प्रकरण की प्रकृति (जन विवाही/राजनस्य/ पालनी/देव संबंधी/ अन्य प्रकरण)	प्रकरण के स्थगन दर्शि रिति मध्य ओदशा दिनांक विभाग के परा में	प्रकरण के स्थगन दर्शि रिति मध्य ओदशा दिनांक विभाग के विस्तृत	आगामी तारीख परी	विशेष विवरण